

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

Income Tax Notice: वेतनभोगियों के लिए क्यों आता है नोटिस और कैसे बचे परेशानी से ?

Publisher

Published on 08 Nov 2025



वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलना अब आम बात हो गई है। अक्सर लोग Section 143(1), 143(2), 139(9), 148 या 133(6) जैसे नोटिस का ईमेल पाकर डर जाते हैं। लेकिन समझदारी यही है कि घबराए नहीं, बल्कि नोटिस के कारण को समझें और सही तरीके से उसका समाधान करें।

सीए फर्म **Ravi Rajan & Co LLP, दिल्ली** के टैक्सेशन पार्टनर **CA सी. कमलेश कुमार** बताते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस का मतलब हमेशा आपकी गलती या कर चोरी नहीं होती। विशेषकर वेतनभोगियों के मामले में अधिकांश नोटिस केवल डेटा के मिलान या रिटर्न की छोटी-छोटी विसंगतियों के कारण आते हैं।

वेतनभोगी या सैलरीड व्यक्ति की आमदनी का हिसाब इनकम टैक्स विभाग के पास पहले से ही होता है। ई-पे रोल, बैंक स्टेटमेंट और टीडीएस की जानकारी विभाग के सिस्टम में दर्ज रहती है। अगर आपने अपना ITR ठीक तरह से फाइल नहीं किया या आय के किसी हिस्से को सही से घोषित नहीं किया, तो नोटिस आ सकता है। इसके अलावा, अगर आपके बैंक खाते में वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त राशि आई है, या किसी निवेश या फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज नहीं दिखाया गया, तो भी नोटिस भेजा जा सकता है।

CA सी. कमलेश कुमार के अनुसार, नोटिस आने के मुख्य कारणों में शामिल हैं:

- आय का मेल न होना :** विभाग के पास जो टीडीएस या अन्य आय के रिकॉर्ड हैं, वही आपके फाइल किए गए ITR से मेल नहीं खाते।
- गलत या अधूरी जानकारी :** बैंक, सैलरी या अन्य स्रोत से आय को सही प्रकार से घोषित नहीं करना।
- असंगत दस्तावेज :** निवेश, कटौती और छूट का विवरण गलत या अधूरा होने पर।

4. डेटा एंट्री त्रुटियां: विभाग के सिस्टम में रिकॉर्ड गलत होने की संभावना भी रहती है।

वेतनभोगियों के लिए यह जानना जरूरी है कि नोटिस मिलने का मतलब हमेशा जांच या दोष नहीं है। कई बार यह केवल सूचना या डेटा मिलान के लिए होता है। नोटिस मिलने के बाद सबसे पहला कदम है कि आप **धैर्य रखें और नोटिस को ध्यान से पढ़ें**। नोटिस में यह स्पष्ट लिखा होता है कि आपको किस Section के तहत नोटिस भेजा गया है और जवाब देने की आखिरी तारीख क्या है।

CA कमलेश कुमार सुझाव देते हैं कि नोटिस का सही जवाब देने के लिए:

- अपने सभी **ITR, Form 16 और बैंक स्टेटमेंट** को व्यवस्थित करें।
- अगर नोटिस Section 143(1) के तहत है, तो यह सामान्य मेलान है, और इसे e-filing पोर्टल पर ऑनलाइन ही हल किया जा सकता है।
- Section 139(9) या 148 के नोटिस अधिक गंभीर होते हैं, जिसमें सुधारित रिटर्न दाखिल करना या अतिरिक्त दस्तावेज जमा करना पड़ सकता है।
- किसी भी संशय की स्थिति में तुरंत **प्रोफेशनल CA** से संपर्क करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि नोटिस को नजरअंदाज करना या जवाब न देना सबसे बड़ा खतरा है। इससे अतिरिक्त ब्याज, पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए समय पर और सही तरीके से नोटिस का जवाब देना आवश्यक है।

वर्तमान समय में इनकम टैक्स विभाग अपनी **टेक्नॉलॉजी और डेटा एनालिटिक्स** को लगातार अपग्रेड कर रहा है। इसलिए वेतनभोगियों को पहले से ज्यादा नोटिस मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विभाग सभी वित्तीय लेन-देन की निगरानी कर रहा है और सुनिश्चित कर रहा है कि सभी आयकरदाता अपने टैक्स दायित्वों को सही समय पर पूरा करें।

यदि आप वेतनभोगी हैं और नोटिस प्राप्त हुआ है, तो घबराना नहीं चाहिए। CA कमलेश कुमार के अनुसार, अधिकांश मामलों में नोटिस का समाधान उचित दस्तावेज और रिटर्न में सुधार करके किया जा सकता है। इसके अलावा, यह एक अवसर भी है कि आप अपनी टैक्स फाइलिंग को और व्यवस्थित करें, ताकि भविष्य में ऐसे नोटिस की संभावना कम हो।

आखिरकार, इनकम टैक्स नोटिस केवल चेतावनी का माध्यम है और इसे **संरक्षित, व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से हल करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प** है। वेतनभोगियों के लिए यह समझना जरूरी है कि नोटिस आने का मतलब अपराध नहीं है, बल्कि टैक्स प्रणाली का एक हिस्सा है जो आपको अपने दस्तावेज और रिटर्न की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है।